तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15-6-22	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित हैं। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे मे तशरीफ रखते हैं। अन्य कार्य मे व्यस्त हैं। अभिभाषणगण कन्डोलेन्स पर हैं। अतः पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 29-6-22 को पेश हों।	
29-6-22	पत्रावली पेश हुई वादी अधिवक्ता उपस्थित जवाब सरकार पेश करने ~~हेतु भी न~~ काफी अवसर दिये जाने पर भी जवाब सरकार पेश नहीं होने से जवाब सरकार बन्द किया जाता है वादी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई वास्ते निर्णय पत्रावली 28-7-22 को पेश हो।	
28-7-22	पत्रावली पेश हुई वादी व वादी के अधिवक्ता उपस्थित वादी का वाद स्वीकार किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी बाकेरी (बून्दी)	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी,जिला बून्दी राज0

57 / दावा / 2019
दायरा दिनांक 30.08.2019

पीठासीन अधिकारी
श्री युगांतर शर्मा(RAS)

बउनवान

1. अमरलाल आत्मज कालू जाति रेबारी निवासी बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
2. नृसिंह आत्मज कालू जाति रेबारी निवासी बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
3. मोहनीबाई पुत्री कालू जाति रेबारी निवासी बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
4. सन्तोष आत्मज कालू जाति रेबारी निवासी बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
5. इन्द्रा बेंवा कालू जाति रेबारी निवासी बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
6. मनीराज आत्मज शंकर जाति रेबारी निवासी बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
7. सुरेश आत्मज शंकर जाति रेबारी निवासी बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
8. गायत्री पुत्री शंकर जाति रेबारी निवासी बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
9. प्रकाश बाई बेंवा शंकर जाति रेबारी निवासी बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।

—वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार साहब इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।

— प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

अन्तर्गत धारा 88,89 आर0टी0एक्ट।

उपस्थित :– 1.श्री दिनेश शर्मा एडवोकेट(वादी)।

–: निर्णय :– **दिनांक :– 28.07.2022**

वादी द्वारा एक वाद अन्तर्गत धारा 88,89 आर0टी0एक्ट 1955 के तहत पेश किया जिसके अनुसार ग्राम बडाखेडा स्थित खसरा सं0 579 रकबा 0.35 हैक्ट0 उनकी गैर खातेदारी है दर्ज रिर्कोड है उक्त ख0सं0 579 के गत नम्बर 346/1 (सेटलमेन्ट सन् 1995 से 2015) थे एवं सवंत 2022 से 2041 में ख0सं0 108 मि0 वर्ष 1966 में वादीगण के पूर्वज कालू आ0 भोलू रेबारी को जरिये नीलामी बोली राज्य सरकार से 480 रूपये में खरीदी थी। खरीद के बाद उक्त भूमि कालू आ0 भोलू के नाम गैर खातेदारी दर्ज हो गयी।उक्त भूमि पर दखल (कब्जा) दिनांक 05.02.1971 को संभलाया व आवंटन भूमि की सम्पूर्ण राशि जमा कराने के पश्चात दिनांक 23.12.1977 को जिला कलक्टर महोदय,बून्दी के द्वारा आवंटित भूमि के खातेदारी अधिकार कालू आ0 भोलू रैबारी देते हुये पट्टा जारी कर दिया परन्तु राजस्व रिर्कोड में श्री कालू आ0 भोलू रेबारी के वारिसान वादीगण के नाम गैर खातेदार के रूप में दर्ज है राजस्व अधिकारी व कर्मचारियों को बार–बार निवेदन करने के उपरांत भी राजस्व रिर्कोड में संदर्भित अराजी गैर खातेदार अकिंत है इसलिए वादीगण को ग्राम बडाखेडा स्थित वर्तमान खसरा सं0 579 रकबा 0.35 हैक्ट0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

वाद–पत्र दर्ज कर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया प्रतिवादी को काफी अवसर दिये जाने के बावजूद उसने कोई जवाब पेश नही किया इस कारण जवाब बंद किया गया।

अधिवक्ता वादी की बहस एकतरफा सुनी उन्होने वाद–पत्र में अकिंत तथ्यों को दोहराते हुए ग्राम बडाखेडा स्थित हाल खसरा सं0 579 रकबा 0.35 हैक्ट0 की खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का निवेदन किया पत्रावली का अवलोकन कर विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन करने पर पाया कि वादी के पूर्वज स्व0 कालू पुत्र भोलू जाति रेबारी को राजस्थान उपनिवेश (सामान्य उपनिवेश) शर्तें

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

1955 शर्त 9वे आधिन जिला कलक्टर महोदय, द्वारा सन् दिनांक 23.12.1977 को जारी की गयी थी यह भूमि कालू पुत्र भोलू रेबारी द्वारा जरिये नीलामी उपनिवेशन विभाग क्रय की गयी थी।

अतः वादी का प्रार्थना–पत्र सशर्त स्वीकार किया जाता है स्व0 कालू पुत्र भोलू जाति रेबारी एवं वर्तमान राजस्व रिर्कोड में गैर खातेदार के रूप मे अकिंत उनके वारिसान (वादीगण) को ग्राम बडाखेडा के वर्तमान आराजी ख0सं0 579 रकबा 0.35 हैक्ट के बदले उपनिवेशन अधिनियम के तहत देय समस्त राशि की पुष्टि होने एवं देय राशि बकाया पाये जाने की स्थिति में राशि जमा करवाने की शर्त के अध्ययनधीन ग्राम बडाखेडा के ख0सं0 579 रकबा 0.35 हैक्ट0 का खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार इन्द्रगढ को निर्देशित किया जाता है कि वह उपनिवेशन अधिनियम अनुसार देय राशि को राजकोष में जमा होने की पुष्टि कर निर्णय की अनुपालना करे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज न0 से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी बून्दी

डिकी व मुकद्दमें इब्तदाई

(O 20,Rr 6,7)

(civil Procedure Code Appendix D)

1.अज अदालत ....उपखण्ड अधिकारी.............................. मुकाम..........................लाखेरी..................व इजलास........................श्री युगांतर शर्मा (आर. ए. एस.)...

1 अमरलाल आत्मज कालू जाति रेबारी निवासी बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0। **बनाम** 1 राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार साहब इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।

दावा बाबत 88, 89 आर0टी0एक्ट।...........................

मुकदमा नम्बर...................................57/दावा/2019..सन...

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..हमरे...

..............व हाजिरी

1. श्री दिनेश शर्मा एडवोकेट(वादी)..।मिनजानिब मुद्दइ...
....मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकुम दिया जाता है व ड़िगरी दी जाती है कि

वादी का प्रार्थना–पत्र सशर्त स्वीकार किया जाता है स्व0 कालू पुत्र भोलू जाति रेबारी एवं वर्तमान राजस्व रिर्कोड में गैर खातेदार के रूप मे अकिंत उनके वारिसान (वादीगण) को ग्राम बडाखेडा के वर्तमान आराजी ख0सं0 579 रकबा 0.35 हैक्ट के बदले उपनिवेशन अधिनियम के तहत देय समस्त राशि की पुष्टि होने एवं देय राशि बकाया पाये जाने की स्थिति में राशि जमा करवाने की शर्त के अध्ययनधीन ग्राम बडाखेडा के ख0सं0 579 रकबा 0.35 हैक्ट0 का खातेदार घोषित किया जाता है।

....निज...मुबलिग...बाबत..............
..........खर्चा इन मुकद्दमें के मय सूद बशरह ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

सब मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख ...28.....माह..........07........... सन...2022.......................को जारी की गई।

दस्तखत

मुहर ओहदा

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुद्दायलह	रूपया	पैसे
1.स्टाम्प अर्जीदावा			1.स्टाम्प अर्जीदावा		
2.स्टाम्प वकालतनामा			2.स्टाम्प अर्जी		
3.स्टाम्प वजह सबूत			3.महनताना वकील		
4.महनताना वकील			4.खर्चा गवाहॉन		
5.खर्चा गवाहॉन			5.फीस कमिश्नर		
6.फीस कमिश्नर			6.बाबत इजराय हुक्मनामा		
7.बाबत इजराय हुक्मनामा			7.मुत्तफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरिकेन का चाहे ड़िगरी के जरिये दिखाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)
उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी जिला बून्दी

2. नृसिंह आत्मज कालू जाति रेबारी निवासी बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
3. मोहनीबाई पुत्री कालू जाति रेबारी निवासी बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
4. सन्तोष आत्मज कालू जाति रेबारी निवासी बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
5. इन्द्रा बेंवा कालू जाति रेबारी निवासी बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
6. मनीराज आत्मज शंकर जाति रेबारी निवासी बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
7. सुरेश आत्मज शंकर जाति रेबारी निवासी बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
8. गायत्री पुत्री शंकर जाति रेबारी निवासी बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।
9. प्रकाश बाई बेंवा शंकर जाति रेबारी निवासी बडाखेडा तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी राज0।

—वादीगण

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)